

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2201/2024

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शौकत अली पुत्र श्री दिलावर खान, उम्र 65 वर्ष, निवासी बल्लू बास रोड कामां जिला भरतपुर के माध्यम से राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, ज्योति नगर, जयपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीग।
- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीग।
- उपखंड अधिकारी, कामां जिला डीग।
- तहसीलदार, तहसील कामां, जिला डीग।
- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका कामां (डीग)

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री जे.के. मूलचंदानी

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता,
श्री शीतांशु शर्मा के साथ

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश27/02/2024अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

- यह याचिका जिला डीग के कस्बा कामां में स्थित खसरा संख्या 4965 (नया खसरा संख्या 675 और 676) की भूमि के संबंध में दिनांक 21.12.2023 के नोटिस और उसके अनुसरण में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड (संक्षेप में 'आरबीएमडब्ल्यू') याचिकाकर्ता है और यह दलील दी जाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') के समक्ष यह प्रार्थना करते हुए मुकदमा दायर किया गया है कि कस्बा कामां में खसरा संख्या 4965 रकबा 6 बीघा को कब्रिस्तान और वक्फ संपत्ति घोषित किया जाए, जो लंबित है। विजय मिश्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका यानी डी.बी.पी.आई.एल. याचिका संख्या 10278/2021 का 24.09.2021 को निपटारा मुस्लिम

वक्फ बोर्ड को एक विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करके जिला कलेक्टर, भरतपुर से संपर्क करने और मुस्लिम वक्फ बोर्ड की शिकायत की तीन महीने के भीतर जांच करने का निर्देश देकर किया गया। आदेश का संचालनात्मक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत है:-

“उपर्युक्त आदेश के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करके उत्तरदाता संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत हों और याचिकाकर्ता की शिकायतों की उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा जांच की जाएगी और अभ्यावेदन दाखिल करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार याचिका का निपटारा किया जाता है।”

3. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 21.12.2023 को निर्णय लिया गया। राजस्व अभिलेखों और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें यह पाया गया कि खसरा संख्या 4965 की भूमि पर लकड़ी के खोखे बनाकर अतिक्रमण किया गया था, अतिक्रमण हटाने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश पारित किया गया। जारी किए गए नोटिसों का उत्तर इस याचिका में याचिकाकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 01.01.2024 को प्रस्तुत किया गया। अतिक्रमण हटा दिए गए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अतिक्रमण हटाना अवैध था क्योंकि भूमि के स्वामित्व का मामला लंबित है। इसके अलावा, अतिक्रमण हटाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

5. प्रतिपक्ष के अनुसार, याचिका में झूठे तर्क दिए गए हैं। यह मुकदमा आरबीएमडब्ल्यू द्वारा दायर नहीं किया गया था, बल्कि शौकत अली ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दायर किया था और आरबीएमडब्ल्यू प्रतिवादी संख्या 5 था। तर्क यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा, खसरा संख्या 4965 के स्वामित्व का दावा करने के लिए बाईबल के पास कोई आधार नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि यह याचिका शौकत अली के पक्ष में आरबीएमडब्ल्यू की ओर से याचिका दायर करने के किसी भी प्रस्ताव या प्राधिकरण के बिना दायर की गई है।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा दलीलों का अवलोकन किया गया।

7. यह एक तथ्य है कि न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित वाद का शीर्षक शौकत अली पुत्र दिलावर खान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है। वादी ने स्वयं को जिला वक्फ समिति,

भरतपुर का पूर्व सचिव बताया है। आर.बी.एम.डब्ल्यू इस वाद में प्रतिवादी संख्या 5 है। वर्तमान याचिका आर.बी.एम.डब्ल्यू द्वारा शौकत अली के माध्यम से दायर की गई है और याचिका के साथ कोई संकल्प या प्राधिकरण संलग्न नहीं है। जैसा भी हो, शौकत अली द्वारा दायर वाद कामां कस्बे के खसरा संख्या 4965 को कब्रिस्तान और वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए था। वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया। दायर जनहित याचिका में न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि कामां कस्बे में अवैध अतिक्रमण हैं। याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया गया कि वह जिला कलेक्टर को इस पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अभ्यावेदन के अनुसरण में, कस्बा कामां में विभिन्न स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि खसरा संख्या 4965 में अतिक्रमण थे। अतिक्रमण हटाने के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए गए। नोटिस जारी करने के बाद अतिक्रमण हटा दिए गए। यह तर्क कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, इस तथ्य से झूठा साबित होता है कि याचिका के साथ संलग्नक-11 के रूप में मुस्लिम समुदाय की ओर से शौकत अली द्वारा जवाब दाखिल किया गया था।

8. इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कामां कस्बे के खसरा संख्या 4965 की संपत्ति याचिकाकर्ता की है। हालाँकि, यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, लेकिन न्यायाधिकरण द्वारा कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

9. मामले का एक और पहलू यह है कि मुकदमे का लंबित रहना अतिक्रमणकारियों को ज़मीन पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देता। कलेक्टर कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के लिए थी और वह भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद।

10. न्यायालय द्वारा पूछताछ के बावजूद, अतिक्रमण हटाने से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर करने का अधिकार, याचिकाकर्ता, सिद्ध करने में विफल रहा। याचिका में यह तर्क नहीं दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने खोखे व अन्य अतिक्रमण किए थे, बल्कि दावा यह है कि खसरा संख्या 4965 की ज़मीन कब्रिस्तान है। ज़मीन पर दुकानें चलाने के लिए खोखा बनाना, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के बिल्कुल विपरीत है।

11. यह देखते हुए कि मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा चुका है, यह

न्यायालय याचिका में की गई तथ्यात्मक रूप से गलत दलीलों के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करता है कि यह मुकदमा याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया था, जबकि वास्तव में यह मुकदमा शौकत अली द्वारा दायर किया गया था।

12. उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता। याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन),जे

सरल कुमावत/68

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate